

पत्रावली चेशा हुई - पत्रावली प्राथम उपस्थित, किस्सा 1, 4 से 8 के सम्मन बाप तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये, वकील प्राणी अप्रार्थी सं: 2, 3, 4 के विक्रम कोई कार्यवाही मधी चाले है। अप्रार्थण की कितनी मर्तवा आवाजे प्रियायी जाने उपरन्त भी उपस्थित नही, इसके विक्रम एक तबका कार्यवाही किये जाने के आदेश किये जाते है तलसिले आण्डले से मौका जेच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शान्प क्लिपा शया, धूर्य मे वीमा कान नही कराया गया। वकील प्राथम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय डालगा से लिखा जाकर शान्प किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल गिला मीलवाड़ा

7-8-20

पत्रावली के सिद्ध
2, 3, 4 के सम्मन
को शामिल करने
मांडल (2)
पुणे
7/8/20



राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

संख्या - 24/20 प्रा.पत्र

श्री मनोहर लाल शर्मा श्री जगन्नाथ जायसवाल निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री नारायण शर्मा श्री गंधरा भीष्मा निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल (कंपरा)
(प्रा.पत्र की फोरी कंपनी संलग्न है)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-08-20

::आदेश::

प्रती की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन था कि ग्राम.....~~माण्डल~~.....पटवार, हल्का.....~~माण्डल~~.....तहसील माण्डल में उसके दो /संयुक्त खाते की आराजी नं. 3652, 4496, 4497, 4499, 4507, 4495 कुल किता.....0.6.....रकबा.....0.6 प्रा.....0.6.....विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11-3-20 को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की ग-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को धते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....~~माण्डल~~.....पटवार, हल्का.....~~माण्डल~~.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3652, 4496, 4497, 4499, 4507, 4495 कुल किता.....0.6.....रकबा.....0.6 बीघा.....0.6.....विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....~~माण्डल~~.....400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी